संख्या- 8/2015/1630/43-1-2015-7(6)2014

प्रेषक

एस0 एन0 शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निरीक्षक (प्र0)
राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-46 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 3,17,22,000 (रूपये तीन करोड़ सत्रह लाख बाइस हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।
(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

- - - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
प्रमुख सचिव।

- - - 3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 8/2015/1630(1)/43-1-2015 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषधिकारी, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।
4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- लेखाकार, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 8/2015/1630/43-1-2015-7(6)2014 दिनांक 23 अप्रैल, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि
1	2
01- वेतन	12490
02- मजदूरी	18
03- महँगाई भत्ता	14988
04- यात्रा व्यय	1200
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
06- अन्य भत्ते	1375
07- मानदेय	1
08- कार्यालय व्यय	130
09- विद्युत व्यय	70
10- जलकर/जल प्रभार	20
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	85
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
13- टेलीफोन पर व्यय	20
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	80
18- प्रकाशन	30
29- अनुरक्षण	200
42- अन्य व्यय	--
44 -प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	60
45- अवकाश यात्रा व्यय	100
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	320
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100
49- चिकित्सा व्यय	200
51- वर्दी व्यय	20
योग-	31722

(रूपये तीन करोड सत्रह लाख बाइस हजार मात्र)

(भवेश रंजन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in